**ROYAL THRIVE**
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 1 Issue – 1 January – 2024 ISSN : 3048-524X

# भारत मे बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था का वर्तमान परिदृष्य

द्वारा – डा0 कपिल देव, वरिष्ठ प्रवक्ता
रॉयल कालिज ऑफ लॉ, गाजियाबाद

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने भारत की IPR व्यवस्था पर एक रिर्पोट जारी की है। इस रिर्पोट मे पेटेंट और ट्रेडमार्क के मामले मे विश्व के अन्य देशो की तुलना मे भारत की वर्तमान स्थित पर चर्चा की गई है। इसी तुलना के आधार पर रिर्पोट मे भारत के सम्पूर्ण IPR इकोसिस्टम पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है,

**IPR के बारे मे –:**

- बौद्धिक सम्पदा शब्द बौद्धिक रचनाओ को संदर्भित करता है, जैसे अविष्कार, साहित्य, और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और चित्र आदि।

**IPR के दोहरे उद्देश्यो मे निम्नलिखित शामिल है –**

- ज्ञान आधारित कार्यो और व्यापार नवाचार मे निवेश को बढ़ावा देना।
- बाजार के माध्यम से नये ज्ञान के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देना
  IPR वस्तुतः व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक रचानाओ के एवज मे दिया गया एक अधिकार है। यह किसी रचनाकार को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देता है।
- इस तरह की सुरक्षा कॉपीराइट भौगोलिक संकेतक (GI) पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के रूप मे प्रदान की जाती है।
- ट्रिप्स (बौद्धिक सम्पदा अधिकारो के व्यापार से संबधित पहलू (TRIPS) वैश्विक स्तर पर IPR के मामले मे और उसे सुरक्षा देने मे सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
- ट्रिप्स वस्तुतः पेरिस कन्वैशन और बर्न कन्वेंशन के साथ ताल मेल बिठाये हुए है। ज्ञातव्य है कि पेरिस कन्वैशन औधौगिक सम्पत्ति ( पेटेंट, औधोगिक डिजाइन आदि) और बर्न कन्वेंशन साहित्यक एवं कलात्मक कार्यो (कॉपीराइट आदि) के संरक्षण के लिए है।

**भारत की IPR व्यवस्था मे चुनौतियाँ –**

- भारतीयों द्वारा कम पेटेंट दायर करना – IPR के बारे मे जागरुकता की कमी, स्वदेशी विकास की बजाए विदेशो से प्रोधोगिकी प्राप्त करने की परम्परा तथा अनुसंधान और विकास मे कम निवेश इसके प्रमुख कारण है।

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 1 Issue – 1 January – 2024 ISSN : 3048-524X

- अनुसंधान और विकास पर कम खर्च – भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल (0.7%) अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। यह हिस्सा चीन (2.1%), ब्राजील (1.3%), रूस (1.1%), और दक्षिण अफ्रीका (0.8%), की तुलना मे बहुत कम है
- मनव संसाधनो की कमी– भारत के पेटेंट कार्यालयो मे लगभग 860 लोग कार्यरत है जबकि चीन व यू0एस0ए0 मे यह संख्या क्रमशः 13,704 और 8,132 है।

विभिन्न चरणो के लिए निश्चित समय सीमा का अभाव –

- उदाहरण के लिए किसी भी पेटेंट आवेदन के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नही है, इससे पेटेंट प्रदान करने मे अधिक देरी होती है।

**IPR कानूनो का बार** –

बार उल्लघंन कम लागत वाली डिजीटल तकनीक असज उपलब्धता के कारण IPR व्यवस्था मे जालसाजी और चोरी की घटनाऐं प्रमुख चुनौतिया है।

- इसके अलावा विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्र कार्यान्वयन एजेसियो के लिए बाधा उत्पन्न करते है।

**IPR व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय** –

- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 समग्र समीक्षा – उभरती प्राधौगिकी के आलोक मे इस निति का पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे सम्बन्धित अविष्कारो एवं समाधानो को IPR के रूप मे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए इनकी अलग श्रेणी बनायी जानी चाहिए।

**सम्बन्धित कानूनो को मजबूत कर उसे ठोस तरीके से लागू करना** –

राज्य पुलिस, कस्टम विभाग और CBI जैसी ऐजंसियो के बीच सक्रिय समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। यह कदम बोद्धिक सम्पदा से संबधित धोखाधडी और चोरी के बढ़ते अपराधो का प्रभावी ढ़ग से मुकाबला करने मे मदद करेगा।

- डिजिटल दुनिया मे धोखाधडी और दुरुप्रयोग के मामले तेजी से बढ़ रहे है। अतः इन्हे रोकने और भारत मे व्यापार गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून या ढ़ाचा तैयार करना आवश्यक हो गया हैं।

- न्यायिक सुधार – IPR के मामलो के लिए उच्च न्यायालयो मे समर्पित पीठो की स्थापना की जानी चाहिए। इससे IPR विवादो का समयबद्ध और कुशल निपटारा हो सकेगा।
- साथ ही IPR मामलो से निपटने मे न्यायालयो की सहायता के लिए **न्याय मित्रो (एमिकस क्यूरी) का एक पैनल बनाने की आवश्यकता है।**
- प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना – पेटेंट आवेदन की प्रशासनिक प्रक्रिया को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोंस किया जा सकता है। इससे परीक्षको ओर नियंत्रको को मुख्य तकनीकी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने मे मदद मिलेगी।
- अन्य सुधार – उधोग और अकादमिक सहयोग, आवेदन दाखिल करने की प्रकिया को सरल बनाना, बोझिल अनुपालन मानदंण्डो को समाप्त करना आदि इस दिशा मे कुछ अन्य सुधार हो सकते है।

**निष्कर्ष** – यू0 एस0 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ समय पहले अन्तराष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 प्रकाशित किया था। इस सूचकांक मे भारत 55 देशो मे से 43 वें स्थान पर है। यह इस दिशा मे अब तक किये गए सूधार को दर्शाता है।

भारत मे कुशल और नवीन विचारो वाले रचनात्मक व्यक्तियो की एक बडी संख्या मौजूद है। इसके लिए एक मजबूत पारदर्शी और प्रेडिक्टेवल IPR व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ – 1. प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद।
2. मासिक समसामायिकी, सितम्बर 2022 विजन आई ए एस।
3. आहुजा वी0 के0 द्वितीय संस्करण, लक्सिस–नक्सिस।
4. डा0 राकेश कुमार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, प्रथम संस्करण 2022 लेक्सवर्थ, गोगिया लॉ एजेन्सी।